

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पीठ संशो0/ 1134 /2024, लखनऊ . दिनांक सितम्बर 27 ,2024

संशोधित आदेश

सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ मुजफ्फरनगर ने पत्र सं0 336/2024 दिनांक 25.09.2024 द्वारा अवगत कराया है कि मुख्यालय के आदेश सं0 1009/2024 दिनांक 02.09.2024 द्वारा दिनांक 07.10.2024 से 10.10.2024 तक मेरठ में युगल पीठ गठित की गई है किन्तु पारिवारिक कार्य होने के कारण सम्मिलित होने में असमर्थता व्यक्त की है।

सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित उक्त पत्र दिनांकित 25.09.2024 के अनुक्रम में, मुख्यालय द्वारा निर्गत आदेश सं0 1009/2024 दिनांक 02.09.2024 द्वारा मेरठ के दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु दिनांक 07.10.2024 से 10.10.2024 तक पूर्व गठित युगल पीठ में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त अवधि में सदस्य पीठ मुजफ्फरनगर के स्थान पर सदस्य, पीठ -3 कानपुर को नामित किया जाता है। अतः दिनांक 07.10.2024 से 10.10.2024 तक उक्त संशोधित गठित पीठ में सदस्य पीठ प्रथम मेरठ व सदस्य पीठ-3, कानपुर प्रतिभाग करेंगे। शेष स्थिति यथावत बनी रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह/-'27.09.2024

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक ::यथोक्त।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1 मेरठ।
 - 2- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-3, कानपुर एवं मुजफ्फरनगर।
 - 3- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी मुख्यालय।
 - 4- संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,


निबंधक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।